संख्या- 23/2025/1168/58-2025-1921485

प्रेषक,

विनय कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 09 जून, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन के रूप में सामान्य कार्यक्रमों हेतु प्राप्त केन्द्रांश रू0-11513.00 लाख के सापेक्ष रू0-10913.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-7275.33 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप) रू0-10301.34 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-28489.67 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-09/बजट/2025-26, दिनांक 23.04.2025 एवं पत्र संख्या-19/बजट/2025-26, दिनांक 20.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन के रूप में सामान्य कार्यक्रमों हेतु प्राप्त केन्द्रांश रू0-11513.00 लाख के सापेक्ष रू0-10913.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-7275.33 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप) रू0-10301.34 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-28489.67 लाख (रुपये दो अरब चौरासी करोड़ नवासी लाख सड़सठ हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक-16.04.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।
5. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
6. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार /केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6 /2025 / बी-1-352 / दस-2025-231 / 2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
11. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
12. योजना से आच्छादित पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाय।
13. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता की जांच योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार सुनिश्चित कर ली गयी है।
14. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।
15. विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190102 (पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	27 सब्सिडी	2,75,95,21,000 (रुपये दो अरब पचहत्तर करोड़ पंचानबे लाख इक्कीस हजार मात्र)
2	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	8,07,88,000 (रुपये आठ करोड़ सात लाख अट्ठासी हजार मात्र)
3	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	86,58,000 (रुपये छियासी लाख अट्ठावन हजार मात्र)
	कुल			**2,84,89,67,000 (रुपये दो अरब चौरासी करोड़ नवासी लाख सड़सठ हजार मात्र)**

महायोग	2,84,89,67,000 (रुपये दो अरब चौरासी करोड़ नवासी लाख सड़सठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या E-1-12-X-2025-26-दिनांक:30-5-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)

उप सचिव।

संख्या- 23 /2025/1168(1)/58-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अनु सचिव, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली के मिसिल संख्या/File No.1-27/2025-RKVY, दिनांक 16-04-2025 के क्रम में सूचनार्थ।

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasanac